BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 26 OF 2025

IN THE MATTER OF: -

Chandra Pal Singh …Applicant

Versus

State of U.P. & Others …Respondents

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in pursuance to the order dated 06.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	**1-4**
2.	**ANNEXURE R2/1** A true copy of the inspection dated 12.06.2025	**5-8**

Uttar Pradesh Pollution Control Board

Through

AMIT SHUKLA
Advocate for the UPPCB
Office at : D- 54, Sector – 48, Noida – 201303
Email: amit.shukla@lexweb.in
Ph. No. +91 9999933220; 9999333220

Place: New Delhi
Date: 04.09.2025

Before The Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi

Original Application No. 26/2025

(I.A.No. 39/2025)

NOTARIAL

NOTARIAL

Notary Public
Shiv Kumar Gautam
Notary/Advocate
Reg No 9493
Moradabad
Govt. of India

IN THE MATTER OF:

CHANDRA PAL SINGH ....APPLICANT

Versus

STATE OF UP& Ors ....RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARDIN PURSUANCE TO THE ORDER DATED 06.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL.

I, Deo Kumar Gupta aged about 57 years, S/o Sri Vibhuti Prasad Gupta, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Moradabad do hereby solemnly affirm and state as under:

Notary Public
Shiv Kumar Gautam
Notary/Advocate
Reg No 9493
Moradabad
Govt. of India

1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent and authorized to swear this affidavit.

2. That in compliance of the earlier directions of the Hon'ble Tribunal, UPPCB has filed affidavit on dated 04.05.2025.

3. Thatas mentioned in the earlier affidavit dated 04.05.2025, the Brick Kiln M/s Chand Brick field, Village – Khata Chintaman, Tehsil Milak, District Rampur was found closed during the joint inspection dated 07.03.2025 conducted by ADM Rampur, DMO Rampur and officials of RO Moradabad,UPPCB in compliance of closure order dated 25.02.2025 issued by UPPCB under section 31A of Air (Prevention & control of Pollution) Act 1981.

4. That officials of UPPCB conducted the site inspection of M/s Chand Brick field, Village – Khata Chintaman, Tehsil Milak, District Rampur on 12.06.2025, during the above inspection the brick kiln was found closed.

Notary Public
Shiv Kumar Gautam
Notary/Advocate
Reg No. 3493
Moradabad
Govt. of India

A true copy of inspection dated 12.06.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R2/1.**

5. That the Board has vide letter dated 02.05.2025 issued Show cause Notice for imposing the Environmental Compensation of Rs. 69,470/- (Rs. Sixty-Nine Thousand Four Hundred Seventy only)/- against M/s Chand Brick Field, Village Khata Chintaman, Tehsil-Milak, District-Rampur.

6. That the Hon'ble High Court, Lucknow in writ petition number 4816/ 2024 Swaje India vs UPPCB and Others, vide order dated 17.07.2025 has issued following directions with regard to the powers of State Boards for levying the Environmental Compensation:

"(82) In view of the foregoing discussion, we hold that the State Pollution Control Board has no power to impose environmental compensation

upon any person or Industry and it can merely file an application before the NGT under Section 15 read with Section 18 of the NGT Act for issuance of a direction to the person concerned for payment of compensation."

7. That the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 757-760 / 2013 DPCC Vs Lodhi Property Company Ltd and Others, vide judgement dated 04.08.2025 has issued following directions with regard to the powers of State Boards for levying the Environmental Compensation

"35.. At present environmental damages are being levied by the Boards on the basis of certain guidelines issued by the Central Pollution Control Board in its document "General framework for imposing environmental damage compensation issue in December, 2022. These guidelines seem to have been issued pursuant to the directions of the NGT. It is important that these guidelines are reviewed thoroughly and issued in the form of Rules and Regulations. This will enable declaration of a law that applies and ensures its recognition and easy implementation..."

**37...hold that the environmental regulators, the Pollution Control Boards, can impose and collect as restitutionary and compensatory damages fixed sums of monies or require furnishing bank guarantees as an ex-ante measure towards potential environmental damage in exercise of powers under Sections 33A and 31A of the Water and Air Acts. we issue the following consequential directions..."*

"39.. (b) we direct that the Pollution Control Boards can impose and collect as restitutionary and compensatory damages fixed sums of monies or require furnishing bank guarantees as an ex-ante measure towards potential environmental damage in exercise of powers under Sections 33A and 31A of the Water and Air Acts.

(c) it is further directed that the power to impose or collect restitutionary or compensatory damages or the requirement to furnish bank guarantees as an ex-ante measure under Sections 33A and 31A of the Water and Air Acts shall be enforced only after detailing the principle and procedure incorporating basic principles of natural justice in the subordinate legislation.."

Notary Public
Shiv Kumar Gautam
Notary/Advocate
Regd. No. 9493
Moradabad
Govt. of India

8. That in view of the above directions, the Environmental Compensation is not imposed after the show cause notice dated 02-05-2025.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Moradabad on this 4th day of September, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

Solemnly affirmed before me by Sri/Smt./Km. Deo Kumar Gupta deponent who is identified by Sri/Smt./Km. .... Clerk of Sri/Smt./Km. .... Advocate on 04.9.2025

I have satisfied my staff after examining the deponent That he/she under stood the contents of the affidavit and the same has been read over & explained by me

Regd. Rs ..... as fees

Shiv Kumar Gautam
Notary
04.9.2025

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 1356 / N-13 / 26/25/ जनरल दिनांक 25/07/2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय : मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन में **O.A. No. 26/2025 (IA No. 39/2025) Chandra Pal Singh Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.** पारित ओदश दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 29717/सी–7/ओ0ए0 नं0–26/2025 दिनांक 01.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्कम में आख्या पत्र के साथ मूलरुप में संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
25/7/25
(देव कुमार गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

AE
AEE

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन में O.A. No. 26/2025 (IA No. 39/2025) Chandra Pal Singh Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. पारित ओदश दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन के संबंध में निरीक्षण आख्या –

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.01.2025 के अनुपालन में उक्त ईट भट्ठे मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, थाना मिलक, जनपद रामपुर का इस कार्यालय द्वारा निरीक्षण दिनांक 12.06.2025 को किया गया। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री खुर्शीद खान उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान परिलक्षित हुए तथ्यों एवं कार्यालय अभिलेखानुसार प्रस्तरवार आख्या निम्नवत् है–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त संदर्भित ईट भट्ठा मैसर्स चाँद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, थाना मिलक, जनपद रामपुर पर अक्षांश 28.680756, देशान्तर 79.154813 पर स्थापित है। निरीक्षण के दौरान ईट भट्ठा पूर्णतः बन्द पाया गया। ईट भट्ठे द्वारा स्थापना से पूर्व राज्य बोर्ड से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्थापनार्थ सहमति एवं संचालन हेतु संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।

2. वर्तमान में उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 नं0 26/2025 (आई0ए0 नं0 39/2025) चन्द्रपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य विचाराधीन है।

3. ईट भट्ठे के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 24657/सी–7/ वायु–2005/2024–25 दिनांक 25.02.2025 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है, जोकि वर्तमान में प्रभावी है (छायाप्रति संलग्न)। बन्दी आदेश के अनुपालन में ईट भट्ठे में वर्तमान में उत्पादन कार्य बन्द है। फोटोग्राफ संलग्न है।

4. निरीक्षण के दौरान उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री खुर्शीद खान द्वारा अवगत कराया गया कि उनके वालिद श्री इन्द्र खाँ पुत्र मो0 हुसेन खाँ, निवासी ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर द्वारा उक्त ईट भट्ठे के स्थल गाटा सं0 334 (रकबा 1.0800 है0) को श्री अब्दुल खालिक पुत्र श्री हाजी अब्दुल सत्तार व मो0 शरीफ पुत्र श्री अहसान करीम, निवासी ग्राम शीशगढ़, तहसील मीरगंज, जनपद बरेली को वर्ष 2014 में भट्ठे की स्थापना कर संचालन करने हेतु 10 वर्षों की अवधि हेतु किराये पर दिया गया था।

5. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन में O.A. No. 26/2025 (IA No. 39/2025) Chandra Pal Singh Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. पारित ओदश दिनांक 27.01.2025 में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में मैसर्स चॉद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर के विरुद्ध संयुक्त जॉच दिनांक 15.07.2023 के अनुसार मौके पर ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, जनपद रामपुर की गाटा सं0 314, रकबा 1.0480 है0 की स्थलीय जॉच की आख्यानुसार हुए कुल अवैध खनन की मात्रा 154.377 घनमी0 मिट्टी के तथ्यों के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अर्थदण्ड रु0 69,470/– अधिरोपित

AEE

किये जाने हेतु राज्य बोर्ड द्वारा ईट भट्ठा मैसर्स चॉद ब्रिक फील्ड के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 27789/सी–7/ वायु–2005/24 दिनांक 02.05.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है (छायाप्रति संलग्न), जिसके संबंध में ईट भट्ठा मैसर्स चॉद ब्रिक फील्ड द्वारा प्रत्युत्तर अद्यतन तक इस कार्यालय को अप्राप्त है।

6. अग्रेतर इस कार्यालय के पत्रांक 870/एन–13/26/कादिर अहमद/25/जनरल दिनांक 11.06.2025 के माध्यम से ईट भट्ठों क्रमशः मैसर्स शमा ब्रिक वर्क्स, गाटा सं0 498, ग्राम गहनी, तहसील शाहवाद, रामपुर व मैसर्स चॉद ब्रिक वर्क्स, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर द्वारा किये गये अवैध खनन की मात्रा प्राप्त किये जाने के संबंध में जिला खान अधिकारी, जनपद रामपुर को प्रेषित पत्र किया गया था (छायाप्रति संलग्न), जिसके क्रम में खान अधिकारी, रामपुर द्वारा प्रेषित पत्र सं0 1759/खनिज–2025 दिनांक 03.07.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मैसर्स चॉद ब्रिक वर्क्स, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर के विरुद्ध दर्ज एफ0आई0आर0 सं0 167/2023 दिनांक 19.07.2023 में उल्लिखित है कि क्षेत्रीय लेखपाल रिंकू रानी, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक श्री नादिर हुसैन खां, नायब तहसीलदार आर्चि गुप्ता व खनन अधिकारी, रामपुर के साथ ग्राम खाता चिन्तामन की संयुक्त आख्या दिनांक 15.07.2023 के अनुसार मौके पर ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर की गाटा सं0 314, रगवा 1.0480 है0 की स्थलीय जॉच करने पर मात्रा 20x4.5x1.7=153 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन पाया गया। संलग्न एफ0आई0आर0 अनुसार ईट भट्ठा मैसर्स चॉद ब्रिक वर्क्स, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर द्वारा मात्रा 153 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन किया जाना गया (छायाप्रति संलग्न)।

7. अग्रेतर अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद रामपुर और बिजनौर के अन्तर्गत कोस्ट ऑफ अर्थ की सूचना धारित नही है। उक्त प्रति लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट पर Schedule of Rates पर उपलब्ध है (छायाप्रति संलग्न)।

8. यह भी अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा Neutral Citation No.- 2025: AHC-LKO:40756-DB में पारित आदेश दिनांक 17.07.2025 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से छूट प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार वर्तमान में उपरोक्त वर्णित ईट भट्ठा मैसर्स चॉद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर बोर्ड मुख्यालय द्वारा दिनांक 25.02.2025 को जारी बन्दी आदेश वर्तमान में प्रभावी है एवं ईट भट्ठे का संचालन पूर्णतः बन्द है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में विधि अनुभाग से विधिक अभिमत प्राप्त करते हुए अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपकें अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

24/07/2025

(महेन्द्र सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

25/7/25

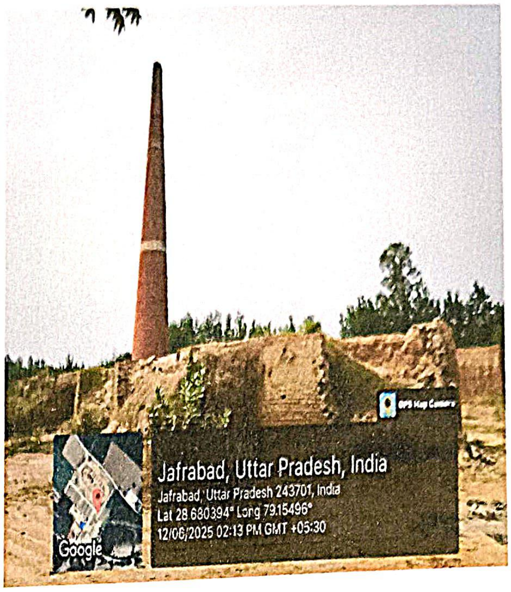

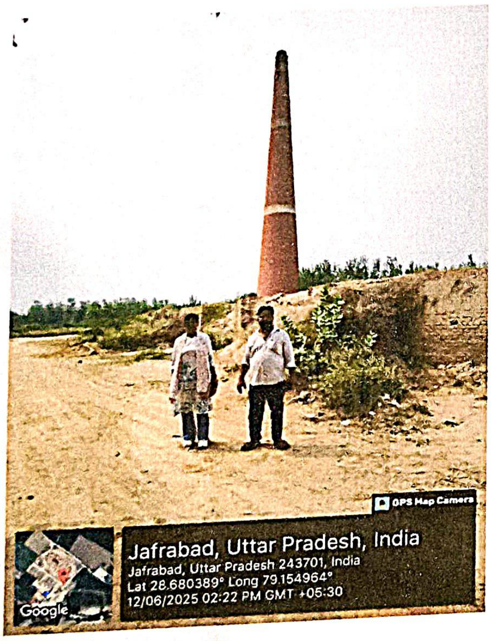

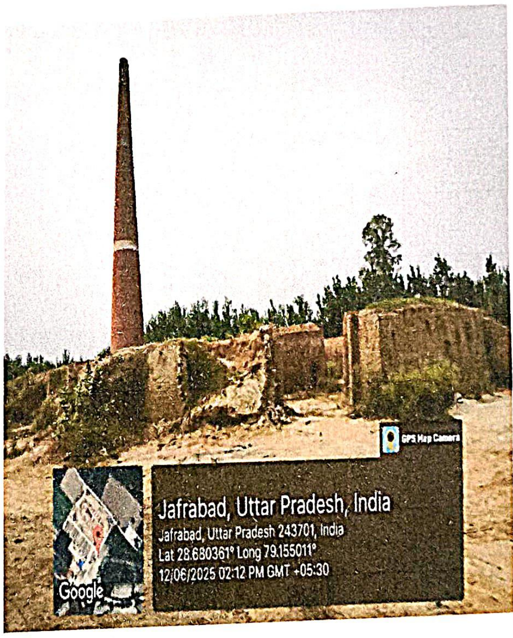

निरीक्षण दिनांक 12.06.2025 को मैसर्स चॉद ब्रिक फील्ड, ग्राम खाता चिन्तामन, तहसील मिलक, रामपुर को लिये गये फोटोग्राफ।